संख्या-429/2020/761/22-2-2020-17(280)/2020

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 30 सितम्बर, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्यारम पुत्र श्री गंगा प्रसाद निवासी जनपद-कानपुर नगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16933/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-05.06.2020) दिनांक 03.07.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्यारम पुत्र श्री गंगा प्रसाद, आजाद नगर, लल्लनपुरवा, थाना-नवाबगंज, जनपद-कानपुर नगर का निवासी है। बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 27.10.2003 को अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर छुरी व चाकू से रामनाथ नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-48/2004 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149 के अन्तर्गत अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0-5, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 24.10.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 22.05.2020 तक 16 वर्ष 06 माह 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 04 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 05.08.2019 द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 27.10.2003 को अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर छुरी व चाकू से रामनाथ नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु, अपराध करने की प्रकृति, दोनों पक्षों में विवाद समाप्त न होने के दृष्टिगत जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी प्यारम पुत्र श्री गंगा प्रसाद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्यारम (बन्दी संख्या-26272) पुत्र श्री गंगा प्रसाद निवासी जनपद-कानपुर नगर को फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-429/2020/761(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-कानपुर नगर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-429/2020/761/22-2-2020-17(280)/2020

दिनांक 30 सितम्बर, 2020 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्यारम पुत्र श्री गंगा प्रसाद, आजाद नगर, लल्लनपुरवा, थाना-नवाबगंज, जनपद-कानपुर नगर का निवासी है। बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 27.10.2003 को अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर छुरी व चाकू से रामनाथ नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-48/2004 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149 के अन्तर्गत अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0-5, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 24.10.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 22.05.2020 तक 16 वर्ष 06 माह 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 04 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 05.08.2019 द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 27.10.2003 को अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर छुरी व चाकू से रामनाथ नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु, अपराध करने की प्रकृति, दोनों पक्षों में विवाद समाप्त न होने के दृष्टिगत जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी प्यारम पुत्र श्री गंगा प्रसाद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुकत सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in